मनजीत
INDIA 10 10
सत्यमेव जयते
TEN RUPEES
SPECIAL ADHESIVE
नरसिंह
रामेश्वर

6005

210

17-9-2025
SATPAL
STAMP VENDOR
Teh. Alewa (Jind) HR.

Deed No. 833 dated. 06-12-2017

Indian-Non Judicial Stamp
Haryana Government

Date : 05/12/2017

ificate No. KFE2017L4

No. 31934923

Stamp Duty Paid : (Rs. Only) ₹ 24400

Penalty : (Rs. Zero Only) ₹ 0

DED08010611926

Seller / First Party Detail

: Shamsher Son of Gyanender

Floor : 0 Sector/Ward : 0 LandMark : 0

llage : Alewa District : Jind State : Haryana

: 7988043781

Buyer / Second Party Detail

Jaiambey Educational and charitable Trust through sandeep kumar

oor : 2180 Sector/Ward : 10 LandMark : Urban estate

ge: Jind District : Jind State : Haryana

9467682633

: stamp paper for lease deed purpose value 203250 per year

833
6-12-17

160

he authenticity of this document can be verified by scanning this QrCode Through smart phone or on the website https://egrashry.nic.in

दस्तावेज पट्टानामा 33 साल, सालाना किराया 2,03,250रू रसुम 24,400रूपये सतर शब्द किते
83 830 4

GRN N0-31934923 दिनाक 05-12-2017

E-STAMP CERTIFICATE NO-KFE2017L4 मिति 05-12-2017

शमशेर पुत्र ज्ञानेन्द्र पुत्र हरलाल निवासी अलेवा तह0 अलेवा जिला जीन्द फरीक अव्वल मालिक जमीन।

तथा

जय अम्बे ऐजुकेशनल एन्ड चैरीटेबल ट्रस्ट जीन्द फरीक दोयम पट्टेदार।

जोकि फरीक अव्वल अराजी जरई खेवट न0 363 मिन खाता न0 481 मिन मुरबा न0 170 किला न0 5/2(2-13), 6(8-0), 15 मिन उतर (2-0), 171//10(6-13), 11 मिन उतर (7-16) किते 5 रकबा 27 कनाल 2 मरले सालम वाका मौजा अलेवा तह0 अलेवा जिला जीन्द जमाबंदी साल 2014-15 व इंतकाल तकसीम न0 8365 का मालिक कामिल तथा काबिज है। जोकि फरीक अव्वल अपनी उपरोक्त अराजी को बदस्त फरीक दोयम पट्टा पर देता है। शरायत पट्टा इस प्रकार है।

शमशेर

Sandeep Kumar

SINGH ... (Jind) ... ment Writer

... नकल मुताबिक असल है।

संयुक्त उप रजिस्ट्रार अलेवा

17/9/25

1-यह कि मियाद पट्टा 33 साल होगी जोकि 01-12-2017 से 30-11-2050 तक होगी। कब्जा अराजी का मौका पर पट्टेदार ने मालिक से ले लिया है।

2-यह कि रकम जरे पट्टा 60,000रू (साठ हजार रूपये) प्रति एकड़ प्रति साल के हिसाब से 2,03,250रूपये कुल अराजी की सालाना तय पाई है।

3-यह कि एक साल की रकम जरे पट्टा 2,03,250रू फरीक दोयम मालिक जमीन को 15-12-2017 तक अदा करेगा। आईन्दा हर साल 15 दिसम्बर तक अदा करता रहेगा। जोकि चैंक, डिमाण्ड ड्राफ्ड, आरटीजीएस, एनईएफटी द्वारा किसी भी तरीके से अदा कर सकेंगा।

4-फरीक अव्वल मालिक जमीन खेवट न0 363 के कुल रकबा 344 कनाल 15 मरले में 8/35 भाग का मालिक जमाबंदी 2014-15 अनुसार है। जिस पर एचडीएफसी बैंक असंध ब्रांच से लोन ले रखा है जो रकबा अब पट्टा पर दिया जा रहा है वह फरीक अव्वल को इंतकाल न0 8358, 8359 के तहत अपनी बहन व माता से मिला है। जोकि लोन से बाहर है हर प्रकार के भार से मुक्त है। लोन की अदायगी की जुम्मेवारी मालिक जमीन की होगी। अगर लोन की अदायगी में कोताही के कारण एचडीएफसी बैंक की कानूनी कारवाई के कारण फरीक दोयम पट्टेदार को किसी प्रकार की क्षति होगी तो क्षतिपूर्ति के लिये फरीक अव्वल यानी मालिक जमीन व उसके वारसान हर प्रकार से जिम्मेवार होगें।

5-यह कि पट्टेदार पट्टा की राशी हर पांच साल बाद 10 प्रतिशत बढा कर देगा। जोकि यह बढोतरी वास्तविक राशी पर होगी।

6-यह कि दोनो पक्ष आपसी सहमति से पट्टा की मियाद कभी भी पट्टा अवधि के बीच में आगे अधिक समय के लिये बढा सकेगे।

7-यह कि पट्टेदार ने उक्त भूमि को चैरिटेबल शिक्षण सस्थांन स्थापित करने के किये पट्टा पर लिया है। पट्टेदार को पट्टे पर ली गई उक्त भूमि पर शिक्षण सस्थांन का भवन निर्माण यानी क्लास रूम, लाईब्रेरी, प्रयोगशाला, स्टाफ रूम, लेटरीन, बाथरूम, खेल का मैदान, स्टाफ क्वार्टर्ज आदि निर्माण करने का पूर्ण रूपेण अधिकार होगा। इस कार्य के लिये पट्टेदार व उसके द्वारा अधिकृत किये गये व्यक्तियों/कर्मचारियों/अधिकारियों/ट्रस्टीयों को केन्द्र सरकार, हरियाणा सरकार, आईसीएसई, सीबीएसई व हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड आदि सभी सम्बंधित स्त्रोतों से जरूरत अनुसार सभी आवश्यक अनुमतियां, मान्यता, लाईसेंस आदि लेने का अधिकार होगा। पट्टेदार को सम्बधिंत बिजली बोर्डो से आवश्यकता अनुसार पावर/बिजली कनैक्शन आदि लेने का अधिकार होगा। इसी प्रकार पट्टेदार को जन स्वास्थय विभाग हरियाणा से वाटर, सिवर कनैक्शन लेने का अधिकार होगा तथा जरूरत पडने पर ग्राम पचांयत अलेवा व लोकल बोडीज से भी कोई आवश्यक अनुमती, लाईसेंस आदि जरूरत अनुसार लेने का हक होगा। इस सब कार्यो के लिये मालिक जमीन यानी फरीक अव्वल तथा उसके वारसान को कभी भी किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी ना ही आपत्ति करने का कोई हक होगा। इन उपरोक्त वार्णित सभी कार्यो के लिए फरीक अव्वल मालिक जमीन की तरफ से पुर्ण सहमती प्रदान की जाती है। इसके इलावा अगर कहीं जरूरत होगी तो फरीक अव्वल/मालिक जमीन स्वंय उपस्थित होकर यह कार्य करवायेगा तथा आवश्यक दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर उपलब्ध करवायेगा।

SINGH Alewa (Jind) Document Writer

Sudeep Kum

21/12/2017

8-यह कि बिजली, पानी, सिवर, टेलीफोन का बिल व अन्य कमर्शियल, नोन कमर्शियल कर जो भी होगा वह सब पट्टेदार अदा करेगा।

9-यह कि पट्टेदार उपरोक्त भूमि पर बने भवन व कुल साजो सामान का बिमा किसी भी बिमा कम्पनी से अपने खर्चा पर अपनी जुम्मेवारी पर करवा सकेंगा। मालिक को एतराज ना होगा।

10-यह कि मालिक जमीन व उसके वारसान उपरोक्त जमीन व उसपर बने भवन का निरक्षण कभी भी पट्टेदार की सहमती से कर सकेंगें। परन्तु सस्थांन मे होने वाले किसी भी समारोह या अन्य दैनिक गतिविधियों में कोई रूकावट पैदा नहीं कर सकेगें।

11-यहकि पट्टेदार शिक्षण सस्थांन के लिये किसी भी बैंक, निगम या अन्य वितीय संस्थान से लोन ले सकेगा तथा लोन के लिये अपने हकुक पट्टेदारी जमीन मोरटगेज कर सकेगा व पट्टे वाले भूमि व उस पर बने भवन को आगे सबलेट कर सकेंगा तथा किसी अन्य के नाम तबदील कर सकेगा। मालिक को ऐतराज ना होगा तथा जो लोन पट्टेदार लेगा उसकी अदायगी की जिम्मेदारी पट्टेदार की होगी।

12-यह कि पट्टेदार के तीन बच्चे तेजवीर-जसबीर-यशवीर है जोकि तीनों बालिग है तथा अच्छे रोजगार पर है इन तीनो के लडके/लडकिंया व आगे इन बच्चों की सन्तानें व आगे उन बच्चों की सन्तानें इस सस्थांन में बिना किसी शुल्क के पढ़ सकेंगें जबतक जमीन पट्टा पर है। धनोपार्जन के इलावा मालिक जमीन फरीक अव्वल की आने वाली पीढियों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध निःशुल्क मिले यह इस पट्टा का मुख्य उद्देश्य फरीक अव्वल के परिवार के हित में है।

13-यह कि अगर पट्टेदार पट्टा की राशी समय पर अदा नहीं करता है तो मालिक जमीन को कानूनी तरीके से वसूल करने का हक होगा।

14-यह कि पट्टा का समय पुरा होने के बाद पट्टेदार कब्जा खाली जमीन हवाले मालिक करेगा तथा अपना कुल मलबा व साजो सामान उठा सकेगा। परन्तु अगर मालिक जमीन या उसके उतराधिकारी चाहेगे तो पट्टेदार की सहमती पर वाजिब कीमत देकर कुल मलबा व साजो सामान रख सकेंगें।

15-यह कि इस जमीन को पट्टा पर देने में मालिक जमीन की पत्नी, बच्चे सभी सहमत है तथा सभी ने पट्टा की शर्ते पढ व समझ कर अपनी सहमती के हस्ताक्षर इस पट्टा पर किये है।

16-यह कि पट्टेदार ने पट्टा वाली जमीन का कब्जा वाकई मौका पर मालिक जमीन से ले लिया है अब पट्टावाली जमीन पर मालिक जमीन व अन्य कोई किसी प्रकार का कोई दखल अन्दाजी किसी प्रकार का नहीं करेगें।

17-यह कि पट्टा वाली जमीन से सम्बधिंत पट्टा वाले कानून किसी भी एथौरिटी के जो आज मान्य है या भविष्य मे होगें तो उन सब की जुम्मेवारी पट्टेदार की होगी।

Sandeep Kumar

21/7/2012 163

17/7/12

18-यह कि भविष्य में अगर पट्टेदार या उसके उतराधिकारी उपरोक्त पट्टेवाली जमीन किसी को बेच देतें है या अन्तरण करवा देतें है या रहन कर देतें तो उस सुरत में भी यह पट्टानामा ज्यों का त्यों आखरी समय तक कायम रहेगा।

19-यह कि उपरोक्त पट्टानामा पर जो भी खर्चा स्टैम्प डयूटी, रजिस्ट्रेशन फीस व अन्य किसी भी प्रकार का लगा है वह सब पट्टेदार ने वहन किया है।

लिहाजा यह दसतावेज पट्टानामा लिखा दिया कि सनद रहे समय पर काम आवे

मिति 06-12-2017

फरीक अव्वल मालिक जमीन शमशेर आधार न0 3736 6216 3337

फरीकदोयम पट्टेदार जय अम्बे ऐजुकेशनल एन्ड चैरीटेबल ट्रस्ट जीन्द बजरिये चेयरमैन/ट्रस्टी

हरिकैलाश	सन्दीप कुमार
आधार न0 3015 9077 0825	3561 1595 2699

गवाह न0 1 महासिंह नम्बरदार अलेवा तह0 अलेवा जिला जीन्द।

गवाह न0 2 अशोक कुमार पुत्र सत्यनारायण निवासी कसुहन जिला जीन्द।

नोटः- हम निम्न हस्ताक्षरी फरीक अव्वल मालिक जमीन के वारसान व उतराधिकारी है तथा उपरोक्त जमीन का पट्टानामा पर्जीकृत होने में सहमत है। हमने पट्टानामा की सभी शर्ते सुन व समझ ली है पढ ली है तथा सोच समझ कर ठीक मान कर अपने हस्ताक्षर/अगुंठे किये है।

तेजबीर-जसवीर-यशबीर पुत्रान व श्रीमती साहबो देवी पत्नी शमशेर पुत्र ज्ञानेन्द्र

क्रमांक नं. 833

डीड सबंधी विवरण

डीड का नाम LEASE

तहसील/सब-तहसील अलेवा

गांव/शहर अलेवा

धन सबंधी विवरण

राशि जिस पर स्टाम्प डयूटी लगाई 203,250.00 रुपये

स्टाम्प डयूटी की राशि [illegible]

रजिस्ट्रेशन फीस की राशि 5,000.00 रुपये

पेस्टिंग शुल्क 3.00 रुपये

Drafted By: फतेहसिंह

Service Charge: [illegible]

यह प्रलेख आज दिनाँक 06/12/2017 दिन बुधवार समय 2:42:00PM बजे श्री/श्रीमती/कुमारी शमशेर पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी ज्ञानेन्द्र निवासी अलेवा द्वारा पँजीकरण हेतु प्रस्तुत किया गया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता

उप/सयुँक्त पँजीयन अधिकारी
अलेवा

श्री शमशेर शमशेर

उपरोक्त पटटा देने वाला व श्री/श्रीमती/कुमारी जय अम्बे ऐजुकेशन एण्ड चैरीटेबल ट्रस्ट जीन्द मार्फत हरीकैलाश चेयरमैन व सन्दीप पटटा लेने वाला [illegible]

प्रस्तुत प्रलेख के तथ्यों को दोनो पक्षो ने सुनकर तथा समझकर स्वीकार किया। दोनो पक्षो की पहचान श्री/श्रीमती/कुमारी महासिंह लम्बरदार पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री निवासी अलेवा व श्री/श्रीमती/कुमारी अशोक कुमार पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी सत्यनारायण निवासी कसुहन ने की।

साक्षी नः 1 को हम नम्बरदार/अधिवक्ता के रूप मे जानते है तथा वह साक्षी नः 2 की पहचान करता है।

दिनाँक 06/12/2017

उप/सयुँक्त पँजीयन अधिकारी
अलेवा

यह प्रमाणित किया जाता है कि पंजीकृत वसीका की स्कैन प्रति jamabandi.nic.in पर डाल दी गई है ।

उप / सयुँक्त पँजीयन अधि[illegible]
अलेवा

[illegible] नकल मुताबिक असल है।
संयुक्त सब रजिस्ट्रार,
अलेवा (जींद)

Reg. No.	Reg. Year	Book No.
833	2017-2018	1

पटटा देने वाला

पटटा लेने वाला

गवाह

पटटा देने वाला
शमशेर______________

पटटा लेने वाला
जय अम्बे ऐजुकेशन एण्ड चैरीटेबल ट्रस्ट जीन्द मार्फत हरीकैलाश चेयरमैन व सन्दीप______________

गवाह 1:- महासिंह लम्बरदार______________ गवाह 2:- अशोक कुमार______________

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रलेख कमांक 833 आज दिनांक 06/12/2017 को बही न: 1 जिल्द न: 7 के पृष्ठ न: 183 पर पँजीकृत किया गया तथा इसकी एक प्रति अतिरिक्त बही सख्या 1 जिल्द न: 61 के पृष्ठ सख्या 29 से 30 पर चिपकाई गयी। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इस दस्तावेज के प्रस्तुतकर्ता और गवाहो ने अपने हस्ताक्षर/निशान अंगुठा मेरे सामने किये है ।

दिनाँक 06/12/2017

उप / सयुँक्त पंजीयन अधिकारी
अलेवा

165

... नकल मुताबिक असल है।
संयुक्त उप रजिस्ट्रार
अलेवा (जींद)
17/9/25